भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

सं.2016/सुरक्षा(विशेष)/लीज एसएलआर नई दिल्ली, दिनांक: 08.04.2019

निदेश -50

विषय: लीज्ड पार्सल/सामान/ब्रेक वैन से पार्सलों की चोरी/छुट-पुट चोरी

मेल/एक्सप्रेस/यात्री गाड़ियों के साथ लगे पार्सल/सामान/ब्रेक वैन से चोरी/छुट-पुट चोरी की घटनाएँ काफी चिंताजनक हैं। लीज होल्डर प्राय: लीज्ड पार्सल के साथ आपराधिक छेड़छाड़ के मामले में रा.रे.पु. द्वारा एफआईआर दर्ज न करने का मुद्दा उठाते रहे हैं. इन चोरियों/छुट-पुट चोरियों ने न केवल रेल ग्राहकों का आत्मविश्वास कम किया है, परन्तु लीज होल्डरों द्वारा लीज अनुबंध को समय से पहले समाप्त करने के परिणामस्वरूप रेलों को गंभीर नुकसान भी हुआ है।

2. मौजूद कोम्प्रेहेंसिव पार्सल लीजिंग पालिसी के अनुसार लीज्ड पार्सल स्पेस में पार्सलों के लदान/उतराई का कार्य लीज होल्डर द्वारा किया जाता है और लदान के बाद एसएलआर/वीपी को रेलवे कर्मचारी द्वारा सीलबंद किया जाता है। यदि लीज्ड एसएलआर के किसी भी दरवाजे की रेलवे सील और ताले के साथ छेड़छाड़ की गई पाई जाती है अथवा ब्रेक वैन की भीतरी दीवार की क्षति के मामले में, जहाँ यह स्पष्ट हो कि चोरी अथवा आपराधिक छेड़छाड़ हुई है, रा.रे.पु. के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करवाना और इसकी एक प्रति लीज होल्डर को दिया जाना अपेक्षित होता है।

3. कोम्प्रेहेंसिव पार्सल लीजिंग पालिसी में दिए गए प्रावधान के अनुसार लीज्ड पार्सलों/वीपीयू से चोरी के मामले के पंजीकरण और जाँच की ज़िम्मेदारी रा.रे.पु. की है। रा.रे.पु. अपने अधिकार क्षेत्र के सीमा और जघन्य अपराध की रोकथाम, उसका पता लगाने और जाँच करने के भरी कार्य भार के कारण, लीज्ड एमएलआर/वीपीयू से चोरी के मामले में प्रभावी कार्रवाई करना की स्थिति में नहीं थी।

4. समस्या की गंभीरता को देखते हुए, लीज्ड एसएलआर/वीपीयू से चोरी/छुट-पुट चोरियों को रोकने और पता लगाने के उपायों को पुष्ट और सुदृढ़ बनाने के अलावा "कोम्प्रेहेंसिव पार्सल लीजिंग पालिसी" में संशोधन करने की आवश्यकता है।

5. वाणिज्य निदेशालय के परामर्श से रेलवे से रेलवे बोर्ड में इस मामले की जॉच की गई है और परिवहन के उद्देश्य से बुक किए गए और लीज्ड एसएलआर/वीपीयू में लदे परेषण को " रेलवे के कब्जे में" समझने का विनिश्चय किया गया है।

अतः परिवहन के लिए बुक किए गए और लीज्ड एसएलआर/वीपीयू में लदे परेषण को रेल संपत्ति (अवैध कब्ज़ा) अधिनियम, 1966 के खंड 2 (डी) के अनुसार " रेलवे की संपत्ति" समझा जाए।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इन अपराधों को रोकने, दर्ज करने और पता लगाने के सभी प्रयास सुनिश्चित किए जाएँ।

-sd-
(अरुण कुमार)
महानिदेशक/रे.सु.ब.

प्रतिलिपि: सदस्य यातायात/रेलवे बोर्ड, महाप्रबंधक/सभी क्षेत्रीय रेलें, प्र.मु.सु.आ./आरपीएफ, सभी क्षेत्रीय रेलें, आईसीएफ, केआरएलसीएल, कोर, निर्माण, आरडीएसओ एवं आरसीएसएफ, निदेशक, जनजीवन राम रे.सु.ब. अकादमी, लखनऊ एवं रे.सु.ब. प्रशिक्षण केंद्र, मौला-अली।

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

No. 2016/Sec (Spl)/ lease SLR New Delhi, Dated. 08 .04.2019

Directive- 50

Sub:- Theft/ Pilferage of parcels from Leased Parcel/Luggage/Brake vans.

******

The incidents of thefts/pilferages from leased Parcel/Luggage/Brake vans attached to Mail/Express/Passengers trains have been causing considerable anxiety. The leased holders are often raising the issue of non registration of FIRs by GRP in case of criminal interference with leased consignment. These thefts/pilferages have not only eroded the confidence of the railway customers but have also resulted in serious loss to the Railways due to premature termination of the lease contracts by the lease holders.

2. As per existing Comprehensive Parcel Leasing Policy, loading/unloading operation of parcels in leased parcel space is carried out by the lease holder and after completion of loading, the SLR/VPs are sealed by railway staff. If railway seals and padlocks of any of the doors of the leased SLR are found tampered with, or in case of damage to the inside partition wall of brake van, where it is apparent that theft or criminal interference has taken place, FIR has to be lodged with GRP and a copy of the same has to be given to the leased holder.

3. The provision in the Comprehensive Parcel Leasing Policy entrusted the responsibility of registration and investigation of the offences of theft from Leased Parcels/ VPUs to GRP. The GRP, owing to its limitation of jurisdiction and heavy work load of prevention, detection and investigation of heinous crime, was not in a position to take effective action in matters of theft from Leased SLRs/VPUs.

4. In view of the seriousness of the problem, the "Comprehensive Parcel Leasing Policy" needed to be revised besides reinforcing and strengthening the measures to prevent and detect thefts/pilferages from Leased SLRs/VPUs.

5. The matter has been examined at Railway Board in consultation with Commercial Directorate and it has been decided to consider the consignment booked and loaded in leased SLRs/VPUs for the purpose of transportation as "under possession of the Railway".

Therefore, the consignment booked and loaded in leased SLRs/VPUs for the purpose of transportation shall be treated as **"Railway Property"** as per section 2(d) of the RP (UP) Act, 1966.

All efforts for prevention, registration and detection of these crimes are to be ensured by RPF.

8/4/19

(Arun Kumar)
Director General/RPF

Copy to:- MT/Railway Board, GMs/All Zonal Railway, PCSCs/RPF, All Zonal Railway, ICF, KRCL, CORE, Const., RDSO & RPSF, Directors, JR RPF Academy, Lucknow & RPF Training Centre, Moula-Ali.